	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
11-5-26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थिति :** श्री तेजेन्द्र सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता श्री वैभव कृष्ण पारीक अधिवक्ता आवेदनकर्ता श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी **आदेश** 1– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 जाप्ता दीवानी दिनांक 28–4–26 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण एकल पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 4–7–08 से निस्तारित किया जा चुका है किंतु सहवन से एकल पीठ ने रेफरेंस स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 68 दिनांक 6–7–99 के स्थान पर नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 8–9–99 अंकित कर दिया, जिसे उक्तानुसार दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थी श्री गुलाब की दिनांक 7–11–08 को मृत्यु हो जाने से उनके वारिसों की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2– उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। एकल पीठ के आदेश दिनांक 4–7–08 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मंडल की एकल पीठ द्वारा रेफरेंस स्वीकार कर अंतिम पैरे में नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 8–9–99 निरस्त कर दिया जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवादित आराजी के नामांतरकरण की प्रति में नामांतरकरण संख्याा 68 दिनांक 6–7–99 अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय में एकल पीठ द्वारा लिपिकीय त्रुटि से उक्त तथ्य अंकित कर दिया जिसे संशोधित किया जाना उचित प्रतीत है। अतः मंडल के उक्त निर्णय दिनांक 4–7–08 के पृष्ठ संख्या 3 के अंतिम पैरा में अंकित ''नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 8–9–99 के स्थान पर नामांतरकरण संख्याा 68 दिनांक 6–7–99 निरस्त किया जाता है'' दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। यह आदेश निर्णय दिनांक 4–7–08 का अभिन्न अंग रहेगा। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	

रेफरेंस / एलआर / 2353 / 2003 / भरतपुर
सरकार बनाम गुलाब जरिये कायम मुकाम